न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एलआर /5098/2004/गंगानगर

1– चन्द्रवती बेवा रामसिंह
2– समेस्ता
3– संजय
4– मोहिनी
5– पूनम
6– सरोज
पुत्रियां रामसिंह
7– कृष्णलाल पुत्र रामसिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला गंगानगर।

–रेस्पोडेण्ट

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजयपाल डिढ़ारिया, अभिभाषक अपीलांट।
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक– 20–10–2023

हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 42/2004 में पारित निर्णय दिनांक 06–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का राजियासर ने तहसीलदार, सूरतगढ़ को दिनांक 31–7–2003 को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पटवारी मण्डल राजियासर स्टेशन की खाली जगह पर रामसिंह अध्यापक द्वारा कई सालो से कब्जा कर रखा है, जिसे कब्जा छुड़ाने के लिए मौखिक कई बार कहा गया, परन्तु निमार्ण कार्य की नियत से जगह नहीं छोड़ रहा है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार ने दिनांक 4–8–2003 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। तत्पश्चात् पत्रावली कायम कर दिनांक 12–11–2003 को यह आदेश दिया गया कि

गिरदावर हल्का को लिखा जावे कि नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावे एवं नायब तहसीलदार को लिखा जावे कि अवैध निर्माण कार्य तुड़वाया जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 6–10–2004 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर तहसीलदार, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 12–11–2003 को यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 6–10–2004 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट को नोटिस देने से पूर्व पचास साल पहले बने उसके मकान व बाड़े को तोड़ने का आदेश दिया गया तथा उसके बाद अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता है। उनका कहना है कि अपीलांट के मकान के चारों ओर अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुए है और इस भूमि पर एक मंदिर भी बना हुआ है। अपीलांट राजियासर गावं का पुराना व्यक्ति है तथा पेशे से काश्तकार व्यक्ति है। गांव में उसके पूवर्जों की भूमि भी है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 105 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के तहत् राज्य सरकार द्वारा गांव के काश्तकारों द्वारा चारागाह या अन्य किसी भी भूमि पर मकान बने हुए हैं, तो उन्हें बेदखल करने के बजाय वे नियमन कराने के अधिकारी हैं। ग्राम पंचायत राजियासर द्वारा विवादित भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उपखण्ड अधिकारी व जिलाधीश महोदय को भेजा जा चुका है, जिस पर राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट लेने के बाद कार्यवाही की जानी है तथा राज्य सरकार को भी पंचायत समिति, सूरतगढ़ व जिला परिषद् द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अपीलांट के मकान व बाड़े के दोनों तरफ 30–30 फुट की खाली पड़ी जमीन व रास्ता है तथा अपीलांट की भूमि के आस–पास कोई पटवार घर या सरकारी कार्यालय का भवन बना हुआ नहीं है। अपीलांट ने ग्राम पंचायत, राजियासर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आबादी हेतु प्रस्तावित विवादित भूमि पर कब्जे अनुसार सरकारी फीस जमा करवाकर पट्टा बनाने हेतु आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति,

सूरतगढ़ को प्रस्तुत कर रखा है, जिस पर ग्राम सेवक से रिपोर्ट भी मांगी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उसके मकान आदि को तोड़ने का गलत फैसला दिया गया है। तहसीलदार द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें भी विरोधाभास प्रतीत होता है। उनके द्वारा नोटिस में धारा का उल्लेख नहीं दिया गया है कि नोटिस किसी धारा का जारी किया गया है, जबकि कार्यवाही किसी अन्य धारा के तहत् की जानी थी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

5— इसके विपरीत उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि पटवार मंडल, राजियासर की भूमि पर रामसिंह नामक अध्यापक द्वारा कई वर्षों से कब्जा कर लिया गया है। पटवार घर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण तहसीलदार ने विधिवत् नोटिस देकर दिनांक 12—11—2003 को आदेश पारित किया है। वकील अपीलांट का यह तर्क निराधार है कि तहसीलदार ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया। क्योंकि अपीलांट को जारी किये गये नोटिस की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है और राजस्व भूमि होने के कारण इस भूमि पर ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि का आबादी भूमि में रूपान्तरण अभी तक नहीं हुआ है। राजस्व अभिलेख के अनुसार यह भूमि गैर मुमकिन पटवार मण्डल दर्ज है। अतः यह अपील खारिज की जावें।

6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

7— हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 12—11—2003 को गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश पारित किया है कि '' अप्रार्थी ने पुनः पटवार घर की भूमि पर अवैध कब्जा कर दिवार का निर्माण कर पटवार का दरवाजा बंद कर दिया । अतः गिरदावर हल्का को लिखा जावे कि नियमानुसार एफ. आई.आर. दर्ज करवाई जावे एव ंनायब तहसीलदार को लिखा जावे कि अवैध निर्माण कार्य तुड़वाया जावे । पत्रावली निश्चित तिथि दिनांक 20—11—2003 को पेश हो ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में खसरा नंबर 134 रकबा 0.051 बारानी गैर मुमकिन थाना जंगलात महकमा माल दर्ज है एवं नकल रजिस्टर नजूल (मकानात सरकारी) थाना जंगल पटवार घर का अंकन है । अपीलाण्ट की हैसियत एक अतिक्रमी है जिसके द्वारा पटवार घर की भूमि पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उसके द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी खातेदारी सिद्ध नहीं कराई है। इसलिए तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी द्वारा किए

गए अतिक्रमण बाबत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए लिखा जाने तथा नायब तहसीलदार को अवैध निर्माण तुड़वाये जाने के आदेश दिए गए हैं । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6–10–2004 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ के आदेश में परितर्वन करना उचित नहीं मानते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–11–2003 के संबंध में अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''।

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–

Second appeal -Concurrent findings of law and facts-In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य